राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषयः– राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 20/03/2023 को संपन्न 454वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

——oo——

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 454वीं बैठक दिनांक 20/03/2023 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. डॉ. मोहम्मद रफीक खान, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. डॉ. मनोज कुमार घोषकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
6. श्री डी. राहुल वेंकट, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: **452वीं एवं 453वीं बैठक क्रमशः दिनांक 28/02/2023 एवं 01/03/2023 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 452वीं एवं 453वीं बैठक क्रमशः दिनांक 28/02/2023 एवं 01/03/2023 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: **गौण/मुख्य खनिजों संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स महावीर स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री रमेश कुमार पटेल), ग्राम–धनसूली, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2182)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर– एसआईए/सीजी/एमआईएन/405493/2022, दिनांक 05/11/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 22/11/2022 द्वारा

जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 19/01/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम–धनसुली, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 912 एवं 913, कुल क्षेत्रफल–1.214 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–40,960 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 454वीं बैठक दिनांक 20/03/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 20/03/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स नांदगांव फर्शी पत्थर माईन (प्रो.–श्री धीरेन्द्र लोणारे), ग्राम–नांदगांव, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1606)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 61826/2021, दिनांक 16/03/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/414903/2023, दिनांक 22/01/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नांदगांव, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 2736/2 एवं 2757/1, कुल क्षेत्रफल–1.27 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–6,156 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 454वीं बैठक दिनांक 20/03/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री धीरेन्द्र लोगारे, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स कोंगनिजेंस रिसर्च इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से सुश्री अंजली चव्हाने उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत नांदगांव का दिनांक 10/11/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना –** क्वारी प्लान, इन्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एवं क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है जो संयुक्त–संचालक (खा.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 1878/खनि 02/मा.प्ल. अनुमोदन/न.क्र.02/2019(3) नया रायपुर, दिनांक 10/03/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 536/क/खनि/न.क्रं./2020 महासमुंद, दिनांक 18/04/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 10 खदानें, क्षेत्रफल 7.46 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 585/क/खनि/न.क्र. /2021 महासमुंद, दिनांक 22/03/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर मस्जिद, गरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. का विवरण –** भूमि एवं एल.ओ.आई. श्री धीरेन्द्र लोगारे के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1756/क/उत्खनि पट्टा/खनि./न.क्र.79/2019 महासमुंद, दिनांक 03/10/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् न्यायालय संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 88/2022 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 16/02/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, यह निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 42(5) परन्तु के तहत् उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने उपरांत उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला महासमुंद को प्रत्यावर्तित किया जाता है।"** होना बताया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट –** वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./5812 महासमुंद, दिनांक

16/10/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 800 मीटर की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–नांदगांव 550 मीटर, स्कूल ग्राम–नांदगांव 850 मीटर एवं अस्पताल महासमुंद 8.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.65 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 11.5 कि.मी. दूर है। महानदी 780 मीटर, मौसमी नाला 285 मीटर, तालाब 540 मीटर एवं नहर 110 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,82,880 टन, माईनेबल रिजर्व 82,409 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 59,289 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,173 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 9 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर एवं मात्रा 18,015 घनमीटर है, जिसमें से 1,862 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा एवं 1,522 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 1,522 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र में तथा शेष 14,631 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सहमति प्राप्त भूमि 8,400 वर्गमीटर क्षेत्र में समीपस्थ खसरा क्रमांक 561/1 (0.14 हेक्टेयर), खसरा क्रमांक 1113 (0.37 हेक्टेयर) एवं खसरा क्रमांक 7/2 (0.33 हेक्टेयर) में भंडारित कर संरक्षित रखा जाएगा। भूमि खसरा क्रमांक 561/1 आवेदक, खसरा क्रमांक 1113 एवं 7/2 श्री तुलशराम के नाम पर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। स्टोन कटर का उपयोग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	6,156.00	षष्टम	5,855.04
द्वितीय	6,053.40	सप्तम	5,950.80
तृतीय	5,916.60	अष्टम	5,916.60
चतुर्थ	5,882.40	नवम	5,950.80
पंचम	5,814.00	दशम	5,793.48

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में खाली और 7.5 मीटर की पट्टी में 1,056 नग एवं गैर माईनिंग क्षेत्र में 400 नग वृक्षारोपण किया जाएगा अर्थात् कुल 1,456 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि

14,560 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 65,905 रूपये, खाद के लिए राशि 72,800 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,91,535 रूपये इस प्रकार कुल राशि 3,44,800 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 10,57,200 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में संकीर्ण क्षेत्र होने के कारण 1,522 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है।

16. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 15 मार्च 2021 से 15 जून 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 11 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 3 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 11 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल**:–

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	21.14	31.26	60
PM_{10}	50.22	65.62	100
SO_2	7.24	13.54	80
NO_2	8.12	16.96	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता**:– ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर**:–

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	40.3	59.9	75
Night L_{eq}	38.1	46.2	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणना**:– भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार:–

Status	PCU / Hr	V/C ratio	LoS
Existing	600.5	0.30	B
Proposed	672.5	0.336	B

विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Very Good) के भीतर है।

17. लोक सुनवाई दिनांक 08/07/2022, अपरान्ह 12:00 बजे, स्थान – ग्राम पंचायत भवन, ग्राम–सांदमांव, तहसील व जिला–महासमुंद में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 07/09/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

18. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. ट्रक, ट्रैक्टर पत्थर लेकर जाते है व रास्ता फाला होने के कारण आने जाने वाले लोगो को दिक्कत होती है एवं पत्थर ले जाते समय पत्थर बाहर सड़क पर गिरा देते हैं जो कि दुर्घटना का कारण बनता है।

ii. खदान में काम करते वक्त मजदूर दुर्घटनाग्रस्त होते है, तो उन्हे मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराया जाए।

iii. गांव के भीतर परिया जमीन (बंजर खाली जमीन) में वृक्षारोपण किया जाए।

iv. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. वाहनो को आवागमन के दौरान तारपोलिन से ढ़का जाएगा। ओवर लोडिंग प्रतिबंधित रहेगा। जिससे सड़कों में पत्थर नहीं गिरेगा। साथ ही सड़कों का रख–रखाव किया जाएगा।

ii. मजदूरों का समय–समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। साथ ही खदान में काम करते वक्त मजदूरों को मेडिकल सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। जिसके इलाज का खर्च पट्टेदार द्वारा वहन किया जाएगा।

iii. ग्रीन बेल्ट योजना के तहत् खदान के सीमा क्षेत्र तथा पहुँच मार्ग में वृक्षारोपण किया जाएगा।

iv. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

19. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 11 खदानें आती है। जिसमें से 5 खदानों को भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से पूर्व में ही पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त है। अत: क्लस्टर में शामिल शेष 6 खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण	प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के	1,44,000	1,44,000	1,44,000	1,44,000	1,44,000

नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुँच मार्ग की कुल लम्बाई 1.3 कि.मी.						
कलस्टर मार्ग में (866 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	95,200	8,600	8,600	8,600	8,600
	फेंसिंग हेतु राशि	1,30,000	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300
	सिंचाई एवं रख– रखाव हेतु राशि	1,65,000	1,65,000	1,65,000	1,65,000	1,65,000
इन्वायरोमेंट मॉनिटरिंग		1,26,000	1,26,000	1,26,000	1,26,000	1,26,000
सड़कों / पहुँच मार्ग के संधारण हेतु		1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000
हेल्थ चेकअप कैम्प		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
कुल राशि = 34,01,100		**8,53,500**	**6,36,900**	**6,36,900**	**6,36,900**	**6,36,900**

कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

विवरण	प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुंच मार्ग की कुल लम्बाई 277 मीटर।	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000
इन्वायरोमेंट मॉनिटरिंग	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
हरित पट्टिका के विकास हेतु सामान्य मार्ग के दोनों तरफ (185 नग) वृक्षारोपण हेतु	93,000	47,000	47,000	47,000	47,000
सड़कों / पहुँच मार्ग के संधारण हेतु	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
हेल्थ चेकअप कैम्प	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
कुल राशि = 7,36,000	**1,84,000**	**1,38,000**	**1,38,000**	**1,38,000**	**1,38,000**

20. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
28.63	2%	0.5726	Following activities at, Govt. Primary School **Village- Nandgaon**	
			Drinking water arrangement with filter & its AMC	
			Water tank (1,000 litre)	0.445
			UV Water Filter	
			5 Year AMC	
			Running Water Arrangement in Toilet	
			Water tank (1,000 litre)	0.15
			Pipeline & Installation	
			Total	**0.595**

21. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

22. ऊपरी मिट्टी को संरक्षित रखे जाने हेतु, विक्रय न करने हेतु एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउन्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना / खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन

मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत किया गया है। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत की गई है।

32. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये पुनःरीक्षित कर प्रस्तुत किया गया है।

33. समिति का मत है कि सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

34. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 536/क/खनि/न.क./2020 महासमुंद, दिनांक 18/04/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 10 खदानें, क्षेत्रफल 7.46 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-गांदगांव) का क्षेत्रफल 1.27 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-गांदगांव) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 8.73 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स नांदगांव फर्शी पत्थर माईन (प्रो.– श्री धीरेन्द्र लोणारे) को ग्राम–नांदगांव, तहसील व जिला–महासमुंद के खसरा क्रमांक 2735/2 एवं 2757/1 में स्थित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.27 हेक्टेयर, क्षमता–6,156 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की सशर्त अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स नांदगांव फर्शी पत्थर माईनिंग प्रोजेक्ट (प्रो.– श्री प्रेमनारायण चंद्राकर), ग्राम–नांदगांव, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1609)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 61875/2021, दिनांक 15/03/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/415164/2023, दिनांक 22/01/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नांदगांव, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 2732 एवं 2736, कुल क्षेत्रफल–0.99 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–7,216.2 टन (3,006.75 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 454वीं बैठक दिनांक 20/03/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दशरथ चंद्राकर, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स कॉगनीजेंस रिसर्च इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, नोएडा की ओर से श्री

संचित कुमार एवं सुश्री अंजली चवाने उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत नांदगांव का दिनांक 25/01/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एवं क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 1676/खनि 02/मा.प्ल. अनुमोदन/न.क्र.02/2019(2) नवा रायपुर, दिनांक 10/03/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 535/क/खलि/न.क्र./2020 महासमुंद, दिनांक 18/04/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 10 खदानें, क्षेत्रफल 7.74 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 312/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 23/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री प्रेमनारायण चंद्राकर के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1777/क/उत्खनि पट्टा/ख.लि./न.क्र.67/2019 महासमुंद, दिनांक 11/12/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् न्यायालय संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 91/2022 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 16/02/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, यह निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 42(5) परन्तु के तहत् उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने उपरांत उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला महासमुंद को प्रत्यावर्तित किया जाता है।"** होना बताया गया है।
7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 2732 आवेदक एवं खसरा क्रमांक 2738 श्री दीनदयाल पटेल के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./खनिज महासमुंद, दिनांक

26/10/2012 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 350 मीटर की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मांदगांव 700 मीटर, स्कूल ग्राम–मांदगांव 1 कि.मी. एवं अस्पताल महासमुंद 8.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 11.8 कि.मी. दूर है। तालाब 800 मीटर, नहर 200 मीटर, मौसमी नाला 80 मीटर एवं महानदी 580 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,42,580 टन, माईनेबल रिजर्व 74,232 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 70,520 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,239 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 9 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर एवं मात्रा 19,983 घनमीटर है, जिसमें से 1,166 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा तथा शेष ऊपरी मिट्टी 18,817 घनमीटर को लीज क्षेत्र से लगी हुई स्वयं की निजी भूमि (खसरा क्रमांक 669, क्षेत्रफल 0.77 हेक्टेयर) में भण्डारित कर संरक्षित रखा जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। स्टोन कटर का उपयोग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	7,216	षष्टम	7,031.52
द्वितीय	7,182	सप्तम	6,976.8
तृतीय	7,113.6	अष्टम	6,942.6
चतुर्थ	7,045.2	नवम	6,976.8
पंचम	7,079.4	दशम	6,956.28

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति भू–जल एवं ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति एवं ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 674 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 6,740 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 44,730 रूपये, खाद के लिए राशि 33,700 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,90,730 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 2,75,900 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 8,97,600 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण**–

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 15 मार्च 2021 से 15 जून 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 11 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 3 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 11 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल**:–

Concentration level ($\mu g/m^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum ($\mu g/m^3$)**	**Maximum ($\mu g/m^3$)**	**CPCB Standard ($\mu g/m^3$)**
$PM_{2.5}$	21.14	31.26	60
PM_{10}	50.22	65.62	100
SO_2	7.24	13.54	80
NO_2	8.12	16.96	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता**– ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर**:–

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	40.3	59.9	75
Night L_{eq}	38.1	46.2	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणना**– भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार:–

Status	PCU / Hr	V/C ratio	LoS
Existing	600.5	0.30	B
Proposed	672.5	0.336	B

विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Very Good) के भीतर है।

17. लोक सुनवाई दिनांक 08/07/2022, अपरान्ह 12:00 बजे, स्थान – ग्राम पंचायत भवन, ग्राम–नांदगांव, तहसील व जिला–महासमुंद में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 07/09/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

18. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये है**:–

i. ट्रक, ट्रैक्टर पत्थर लेकर जाते है व रास्ता पतला होने के कारण आने जाने वाले लोगो को दिक्कत होती है एवं पत्थर ले जाते समय पत्थर बाहर सड़क पर गिरा देते है जो कि दुर्घटना का कारण बनता है।

ii. खदान में काम करते वक्त मजदूर दुर्घटनाग्रस्त होते है तो उन्हें मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराया जाए।

iii. गांव के भीतर परिधा जमीन (बंजर खाली जमीन) में वृक्षारोपण किया जाए।

iv. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. वाहनो को आवागमन के दौरान तारपौलिन से ढका जाएगा। ओवर लोडिंग प्रतिबंधित रहेगा। जिससे सड़कों में पत्थर नहीं गिरेगा। साथ ही सड़कों का रख–रखाव किया जाएगा।

ii. मजदूरों का समय–समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। साथ ही खदान में काम करते वक्त मजदूरों को मेडिकल सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। जिसके इलाज का खर्च पट्टेदार द्वारा वहन किया जाएगा।

iii. ग्रीन बेल्ट योजना के तहत् खदान के सीमा क्षेत्र तथा पहुँच मार्ग में वृक्षारोपण किया जाएगा।

iv. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

19. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 11 खदानें आती है। जिसमें से 5 खदानों को भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से पूर्व में ही पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त है। अतः क्लस्टर में शामिल शेष 6 खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुँच मार्ग की कुल लम्बाई 1.3 कि.मी.		1,44,000	1,44,000	1,44,000	1,44,000	1,44,000
क्लस्टर मार्ग में (866 नग) वृक्षारोपण	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	95,200	8,600	8,600	8,600	8,600

हेतु	फेंसिंग हेतु राशि	1,30,000	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	1,65,000	1,65,000	1,65,000	1,65,000	1,65,000
इन्वायरोमेंट मॉनिटरिंग		1,26,000	1,26,000	1,26,000	1,26,000	1,26,000
सड़कों / पहुँच मार्ग के संधारण हेतु		1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000
हेल्थ चेकअप केम्प		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
कुल राशि = 34,01,100		**8,53,500**	**6,36,900**	**6,36,900**	**6,36,900**	**6,36,900**

कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

विवरण	प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुँच मार्ग की कुल लम्बाई 216 मीटर	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
इन्वायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
हरित पट्टिका के विकास हेतु सामान्य मार्ग के दोनों तरफ (144 नग) वृक्षारोपण हेतु	73,000	37,000	37,000	37,000	37,000
सड़कों / पहुँच मार्ग के संधारण हेतु	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
हेल्थ चेकअप केम्प हेतु	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
कुल राशि = 5,76,000	**1,44,000**	**1,08,000**	**1,08,000**	**1,08,000**	**1,08,000**

20. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष दिसतार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
15.4	2%	0.308	Following activities at nearby, Govt. Higher Sec. School, **Village-Nandgaon**	

			Installation of UV water filter with its AMC	0.32
			Total	**0.32**

21. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

22. ऊपरी मिट्टी को संरक्षित रखे जाने हेतु, विक्रय न करने हेतु एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत किया गया। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत की गई है।

32. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये पुनःरीवाईज कर प्रस्तुत किया गया है।

33. समिति का मत है कि सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के

रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर / प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी / प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी / प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

34. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13 / 09 / 2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 535 / क / खलि / न.क्र. / 2020 महासमुंद, दिनांक 18 / 04 / 2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 10 खदानें, क्षेत्रफल 7.74 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–नांदगांव) का क्षेत्रफल 0.99 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–नांदगांव) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 8.73 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत / संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स नांदगांव फर्शी पत्थर माईनिंग प्रोजेक्ट (प्रो.– श्री प्रेमनारायण चंद्राकर) को ग्राम–नांदगांव, तहसील व जिला–महासमुंद के खसरा क्रमांक 2732 एवं 2738 में स्थित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–0.99 हेक्टेयर, क्षमता–7,216 टन (3,006 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–02** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की सशर्त अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स नांदगांव फर्शी पत्थर माईनिंग प्रोजेक्ट (प्रो.– श्री हिरेन्द्र साहू), ग्राम–नांदगांव, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1614)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 61966/2021, दिनांक 17/03/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/413876/2023, दिनांक 22/01/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नांदगांव, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 2735/1, कुल क्षेत्रफल–1.26 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–6,019.2 टन (2,508 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इनवायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 454वीं बैठक दिनांक 20/03/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री धीरेन्द्र लोणारे, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स कॉगनिजेंस रिसर्च इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से सुश्री अंजली पचाने उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत नांदगांव का दिनांक 10/11/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान (क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एवं क्वारी क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्र. 1722/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.02/2019(1) नवा रायपुर, दिनांक 16/03/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 534/क/खलि/न.क्र./2020 महासमुंद, दिनांक 18/04/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 10 खदानें, क्षेत्रफल 7.47 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 534/क/खलि/न.क्र.

/2020 महासमुंद, दिनांक 18/04/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. का विवरण** – भूमि एवं एल.ओ.आई. श्री हिरेन्द्र साहू के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1784/क/उत्खनि पट्टा/ख.लि./न.क्र.79/2019 महासमुंद, दिनांक 03/12/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् न्यायालय संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 90/2022 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 16/02/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "**उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, यह निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 42(5) परन्तु के तहत् उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने उपरांत उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला महासमुंद को प्रत्यावर्तित किया जाता है।**" होना बताया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./5810 महासमुंद, दिनांक 16/10/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 800 मीटर की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–नांदगांव 550 मीटर, स्कूल ग्राम–नांदगांव 880 मीटर एवं अस्पताल महासमुंद 8.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 11.5 कि.मी. दूर है। महानदी 710 मीटर, मौसमी नाला 215 मीटर, तालाब 630 मीटर, नहर 115 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,81,440 टन, माईनेबल रिजर्व 1,12,039 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,06,437 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,203 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 9 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है तथा कुल मात्रा 28,191 घनमीटर है, जिसमें से 1,153 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा एवं शेष 27,038 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 6,800 वर्गमीटर क्षेत्र में सहमति प्राप्त समीपस्थ भूमि (खसरा क्रमांक 561/2, क्षेत्रफल 0.14 हेक्टेयर एवं 186/1, क्षेत्रफल 0.52 हेक्टेयर) में भंडारित कर संरक्षित रखा

जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 18 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। स्टोन कटर का उपयोग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	6,019	षष्टम	5,951
द्वितीय	5,985	सप्तम	6,019
तृतीय	5,951	अष्टम	5,985
चतुर्थ	5,917	नवम	5,951
पंचम	5,985	दशम	6,019

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 673 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 7,430 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 44,970 रूपये, खाद के लिए राशि 33,800 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,90,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 2,76,200 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 8,98,000 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**

   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 15 मार्च 2021 से 15 जून 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 11 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 3 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 11 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

   ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	21.14	31.26	60
PM_{10}	50.22	65.62	100
SO_2	7.24	13.54	80
NO_2	8.12	16.96	80

   iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता:–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर–

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	40.3	59.9	75
Night L_{eq}	38.1	46.2	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणना:–** भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार:–

Status	PCU / Hr	V/C ratio	LoS
Existing	800.5	0.30	B
Proposed	672.5	0.336	B

विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Very Good) के भीतर है।

16. **लोक** सुनवाई दिनांक 08/07/2022, अपरान्ह 12:00 बजे, स्थान – ग्राम पंचायत भवन, ग्राम–नांदगांव, तहसील व जिला–महासमुंद में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 07/09/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

17. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. ट्रक, ट्रैक्टर पत्थर लेकर जाते है व रास्ता पतला होने के कारण आने जाने वाले लोगो को दिक्कत होती है एवं पत्थर ले जाते समय पत्थर बाहर सड़क पर गिरा देते हैं जो कि दुर्घटना का कारण बनता है।

ii. खदान में काम करते वक्त मजदूर दुर्घटनाग्रस्त होते है तो उन्हें मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराया जाए।

iii. गांव के भीतर परिया जमीन (बंजर खाली जमीन) में वृक्षारोपण किया जाए।

iv. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. वाहनो को आवागमन के दौरान तारपोलिन से ढकर जाएगा। ओवर लोडिंग प्रतिबंधित रहेगा। जिससे सड़कों में पत्थर नही गिरेगा। साथ ही सड़कों का रख–रखाव किया जाएगा।

ii. मजदूरों का समय–समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। साथ ही खदान में काम करते वक्त मजदूरों को मेडिकल सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। जिसके इलाज का खर्च पट्टेधार द्वारा वहन किया जाएगा।

iii. ग्रीन बेल्ट योजना के तहत् खदान के सीमा क्षेत्र तथा पहुँच मार्ग में वृक्षारोपण किया जाएगा।

iv. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

18. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 11 खदानें आती है। जिसमें से 5 खदानों को भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से पूर्व में ही पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त है। अतः क्लस्टर में शामिल शेष 6 खदानों द्वारा कॉमन इन्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुँच मार्ग की कुल लम्बाई 1.3 कि.मी.		1,44,000	1,44,000	1,44,000	1,44,000	1,44,000
क्लस्टर मार्ग में (866 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	95,200	8,600	8,600	8,600	8,600
	फेंसिंग हेतु राशि	1,30,000	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300
	सिंचाई एवं रख– रखाव हेतु राशि	1,65,000	1,65,000	1,65,000	1,65,000	1,65,000
इन्हायरोमेंट मॉनिटरिंग		1,26,000	1,26,000	1,26,000	1,26,000	1,26,000
सड़कों / पहुँच मार्ग के संधारण हेतु		1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000
हेल्थ चेकअप कैम्प		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
कुल राशि = 34,01,100		**8,53,500**	**6,36,900**	**6,36,900**	**6,36,900**	**6,36,900**

कॉमन इन्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

विवरण	प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000

छिड़काव, पहुँच मार्ग की कुल लम्बाई 275 मीटर					
इन्हायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
हरित पट्टिका के विकास हेतु सामान्य मार्ग के दोनों तरफ (183 नग) वृक्षारोपण हेतु	92,000	46,000	46,000	46,000	46,000
सड़कों / पहुँच मार्ग के संधारण हेतु	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
हेल्थ चेकअप कैम्प हेतु	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
कुल राशि = 7,31,000	1,83,000	1,37,000	1,37,000	1,37,000	1,37,000

19. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
19.14	2%	0.38	Following activities at Govt. Higher sec. School **Village- Nandgaon**	
			Installation of Separate water tank for drinking water	0.168
			Running water arrangement in toilet	0.225
			Total	**0.393**

20. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

21. ऊपरी मिट्टी को संरक्षित रखे जाने हेतु, विक्रय न करने हेतु एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत किया गया। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत की गई है।

31. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये पुनरीक्षित कर प्रस्तुत किया गया है।

32. समिति का मत है कि सी.ई.आर., कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

33. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 534 / क / खनि / न.क. / 2020 महासमुंद, दिनांक 18 / 04 / 2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की मीलर अवस्थित 10 खदानें, क्षेत्रफल 7.47 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–नांदगांव) का क्षेत्रफल 1.26 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–नांदगांव) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 8.73 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत / संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स नांदगांव फर्सी पत्थर माईनिंग प्रोजेक्ट (प्रो.– श्री हिरेन्द्र साहू) को ग्राम–नांदगांव, तहसील व जिला–महासमुंद के खसरा क्रमांक 2735 / 1 में स्थित फर्सी पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.26 हेक्टेयर, क्षमता–6,019 टन (2,508 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–03** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की सशर्त अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स मंदिर हसौद लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती संगीता अग्रवाल), ग्राम–मंदिर हसौद, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2259)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 408648 / 2022, दिनांक 06 / 01 / 2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 16 / 01 / 2023 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 20 / 01 / 2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मंदिर हसौद, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 654 / 1, 654 / 2 एवं 657 / 14(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–1.676 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–13,210 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 454वीं बैठक दिनांक 20/03/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 20/03/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. **मेसर्स विनायक मेटल्स एण्ड मिनरल्स (किरारी लाईम स्टोन माईन, पार्टनर– श्री राजेन्द्र सिंह), ग्राम–किरारी, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2281)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर– एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 415292/ 2023, दिनांक 20/01/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–किरारी, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 821/14, 821/15, 821/17 एवं 821/18, कुल क्षेत्रफल–1.052 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–15,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 454वीं बैठक दिनांक 20/03/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विक्रम सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत किरारी का दिनांक 27/01/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – न्यू क्वारी प्लान, इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 3306/खनिज/उ.यो.अ./2022–23 कोरबा, दिनांक 20/12/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्र. 183/गौण खनिज/न.क्र./2022–23

जांजगीर, दिनांक 17/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 74 खदानें, क्षेत्रफल 121.108 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्र. 182/गौण खनिज/न.क्र./2022–23 जांजगीर, दिनांक 17/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट एवं बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है। मौसमी नाला 200 मीटर दूर है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि एवं एल.ओ.आई. मेसर्स विनायक मैटल्स एण्ड मिनरल्स, पार्टनर– श्री राजेन्द्र सिंह के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्र. 2789/गौण खनिज/न.क्र./2022–23 जांजगीर, दिनांक 31/10/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./4950 चांपा, दिनांक 04/08/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 11.90 कि.मी. की दूरी पर है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–किरारी 1.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–किरारी 1.5 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.5 कि.मी. दूर है। तालाब 800 मीटर, मौसमी नाला 200 मीटर एवं नहर 1.8 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 5,12,880 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,38,726 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,740 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,890 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 9.25 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	15,000
द्वितीय	15,000
तृतीय	15,000

चतुर्थ	15,000
पंचम	15,000

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 335 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में समिति का मत है कि लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 850 नग वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि माईनिंग प्लान के चैप्टर 9 के लेण्ड यूज पैटर्न में त्रुटि है। अतः समिति का मत है कि लेण्ड यूज पैटर्न में संशोधन कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्र. 183/गौण खनिज/न.क./2022–23 जांजगीर, दिनांक 17/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 74 खदानें, क्षेत्रफल 121.108 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–किरारी) का रकबा 1.052 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–किरारी) को मिलाकर कुल रकबा 122.16 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.

iv. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

v. Project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for usage of water.

vi. Project proponent shall submit a revised approved mining plan incorporating land use pattern.

vii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

viii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

ix. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

x. EIA study shall be done at minimum 10 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiv. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

xv. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvi. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible tall tree species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स माँ गुरू मिनरल्स (किरारी लाईम स्टोन माईन, पार्टनर– श्री हेमंत कुमार सिंह), ग्राम–किरारी, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2280)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर– एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 415192/ 2023, दिनांक 20/01/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–किरारी, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 729/2, 729/3 एवं 729/6, कुल क्षेत्रफल–1.643 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–50,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 454वीं बैठक दिनांक 20/03/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 20/03/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स कृष्णा मेटल वर्क्स (पार्टनर – श्री आनंद गोपाल अग्रवाल), ग्राम–अकोलडीह खपरी, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2194)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर– एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 405507/ 2022, दिनांक 17/11/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 28/11/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 20/01/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम–अकोलडीह खपरी, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 347, 348, 358, 359, 360, 361, 362, 363 एवं 375, कुल क्षेत्रफल–2.43 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–25,910 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 454वीं बैठक दिनांक 20/03/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राहुल सिंघल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों के अधीन निर्धारित वृक्षारोपण नहीं किया गया है। इस संबंध में प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाएगा। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्त अनुसार पौधे रोपित कर पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफस सहित जानकारी/दस्तावेज एवं प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स तिरुपति बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड (बदुराबहार ऑर्डिनरी स्टोन क्वारी, द्वारा– श्री पदन कुमार सिंघानिया), ग्राम–बदुराबहार, तहसील–पत्थलगांव, जिला–जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2286)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 415260/2023, दिनांक 21/01/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बदुराबहार, तहसील–पत्थलगांव, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 1041, कुल क्षेत्रफल–1.178 हेक्टेयर में से 1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,00,084 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 454वीं बैठक दिनांक 20/03/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, ग्राम–बहेसर एवं तंडवा, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 80506 / 2022, दिनांक 13 / 07 / 2022। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 13 / 07 / 2022 को लीज क्षेत्र 250 हेक्टेयर से कम होने के कारण राज्य स्तरीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ को ट्रांसफर किया गया है।

मेसर्स सेंचुरी सीमेंट पो.ऑ. बैकुण्ठ, जिला–रायपुर को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, ग्राम–बहेसर एवं तंडवा, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर, कुल लीज क्षेत्र 237.003 हेक्टेयर के नाम पर नामांतरित (Transfer) किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण –

1. खदान ग्राम–बहेसर एवं तंडवा, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर के कुल लीज क्षेत्र 237.003 हेक्टेयर, चूना पत्थर (मुख्य खनिज) उत्खनन खदान क्षमता–18,00,000 टन प्रतिवर्ष के नाम परिवर्तन हेतु आवेदन किया गया है।
2. पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक J-11015/121/2006-IA.II(M) दिनांक 06 / 09 / 2007 द्वारा कुल लीज क्षेत्र 273.003 हेक्टेयर में से 237.07 हेक्टेयर, चूना पत्थर (मुख्य खनिज) उत्खनन खदान क्षमता–18,00,000 टन प्रतिवर्ष हेतु मेसर्स सेंचुरी सीमेंट पो.ऑ. बैकुण्ठ, जिला–रायपुर के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है। तत्पश्चात् भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी. जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक J-11015/121/2006-IA.II(M) दिनांक 06 / 09 / 2007 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी की गई है।
3. मेसर्स सेंचुरी सीमेंट को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरण किये जाने बाबत् मेसर्स सेंचुरी सीमेंट द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (A division of मेसर्स सेंचुरी टेक्सटाईल एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड) द्वारा पूर्व में मेसर्स सेंचुरी सीमेंट को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarize undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
5. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 194 / TS / CECB / 2019, दिनांक 05 / 04 / 2019 द्वारा चूना पत्थर (मुख्य खनिज) उत्खनन खदान क्षमता–18,00,000 टन प्रतिवर्ष के लिए जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण जारी की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 03 / 08 / 2019 तक की अवधि हेतु है।
6. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल, बेंच, मुंबई के आदेश दिनांक 03 / 07 / 2019 द्वारा COMPANY SCHEME PETETION NO. 4236 OF 2018 CONNECTED WITH COMPANY APPLICATION NO. 701 OF 2018 IN THE MATTER OF SECTION 230 TO 232 AND OTHER APPLICABLE PROVISION OF THE COMPANIES ACT 2013 AND IN THE MATTER OF SCHEME OF DEMERGER AMONGST CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED AND ULTRATECH CEMENT LIMITED AND THEIR RESPECTIVE

SHAREHOLDERS AND CREDITORS बाबत् जारी आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. मेसर्स सेंचुरी टेक्सटाईल एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड एवं मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा जारी बोर्ड ऑफ रिसॉल्युशन की प्रति प्रेषित की गई है।

8. मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा जारी डॉयरेक्टरों की सूची प्रस्तुत की गई है।

9. मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिऐशन ऑफ अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. भारत सरकार, खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय के ज्ञापन दिनांक 10/02/2021 द्वारा मेसर्स सेंचुरी सीमेंट के नाम से दिनांक 12/11/2018 को जारी अनुमोदित माईनिंग प्लान को मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरण किया गया है।

11. मेसर्स सेंचुरी टेक्सटाईल एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से जारी माईनिंग लीज डीड की प्रति प्रस्तुत की गई है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि:–**

1. मेसर्स सेंचुरी टेक्सटाईल एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से जारी माईनिंग लीज डीड को मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरित किये जाने बाबत् सक्षम प्राधिकारी से संशोधित माईनिंग लीज डीड की प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/10/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 14/10/2022 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 21/11/2022 को संपन्न 133वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया:–

1. मेसर्स सेंचुरी टेक्सटाईल एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से जारी माईनिंग लीज डीड को मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरित किये जाने बाबत् माईनिंग लीज डीड की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार लीज की वैधता दिनांक 31/03/2030 तक है।

2. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक एफ 3–31/2011/12 द्वारा जारी आदेश अनुसार मेसर्स सेंचुरी टेक्सटाईल एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में जिला–रायपुर, तहसील–तिल्दा के अंतर्गत ग्राम–बहेसर, तांडवा के अंतर्गत कुल रकबा 237.003

हेक्टेयर क्षेत्र खनिज चूना पत्थर के स्वीकृत खनिपट्टा का अंतरण शेष अवधि के लिए कैप्टिव प्रयोजनार्थ मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के पक्ष में जारी की गई है।

3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 447वीं बैठक दिनांक 13/01/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि** परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 13/07/2022 को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन प्रतिवेदन के अनुपालन के परिप्रेक्ष्य में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 454वीं बैठक दिनांक 20/03/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सी. गिरीश नायडू, असिस्टेंट जनरल मैनेजर इन्वायरोमेंट, श्री आर.पी.एस. भाटिया, माईन मैनेजर एवं श्री अभिषेक मिश्रा, मैनेजर इन्वायरोमेंट उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 13/07/2022 को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन प्रतिवेदन के अनुपालन के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुतीकरण के दौरान निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत की गई है:–

1. वर्तमान में खनन क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। ऊपरी मिट्टी को पृथक से लीज क्षेत्र के भीतर संरक्षित कर पुनःभराव में उपयोग किया जाकर वृक्षारोपण किया जाता है।
2. खनन प्रक्रिया से जनित ओवर बर्डन को निर्धारित स्थान में रखा जाता है। जनित ओवर बर्डन को पुनःभराव में उपयोग किया जाता है। वर्तमान में कुल 13.77 हेक्टेयर क्षेत्र में से 8.03 हेक्टेयर क्षेत्र का पुनःभराव किया जाकर वृक्षारोपण किया जा चुका है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा किये गये वृक्षारोपण की फोटोग्राफ्स, ड्रोन फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया गया है।
3. गारलेण्ड ड्रेन्स लम्बाई 7756 मीटर, चौड़ाई 1.5 मीटर से 2 मीटर एवं गहराई 1.0 मीटर से 1.5 मीटर का निर्माण कार्य पूर्ण कर फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया गया है। गारलेण्ड ड्रेन्स से एकत्रित जल को सम्प में रखा जाकर खनन क्षेत्र में, डस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण आदि में उपयोग किया जाता है। गारलेण्ड ड्रेन्स में जनित सिल्ट को समय–समय पर निष्कासन किया जाता है।
4. वेट ड्रिलिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है।

5. **वृक्षारोपण कार्य** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी, खदान क्षेत्र, ओवर बर्डन डम्प क्षेत्र में 85.67 हेक्टेयर में 1,67,091 नग वृक्षारोपण किया गया है। साथ ही खदान क्षेत्र के बाहर 177.23 हेक्टेयर में 3,46,318 नग वृक्षारोपण किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा किये गये वृक्षारोपण का सत्यापन मेसर्स नव आस्था जन विकास सेवा समिति से कराये गये सत्यापन रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत की गई है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु पॉण्ड्स की फोटोग्राफ्स प्रस्तुत की गई है। उक्त पॉण्ड के जल का उपयोग खनन परियोजनाओं एवं घरेलू उपयोग में किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से भी की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 23/11/2023 तक है।
7. गाड़ियों आवागमन से उत्सर्जित फ्यूजिटिव डस्ट के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाता है। परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन हेतु 4 नग सतत् परिवेशीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना किया जाना बताया गया है। परिवेशीय वायु गुणवत्ता के मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{10}$ – 47.68 से 63.88 माईक्रोग्राम प्रति सामान्य घनमीटर, एस.ओ.$_2$ – 7.35 से 10.88 माईक्रोग्राम प्रति सामान्य घनमीटर, एन.ओ.$_{x}$ – 13.75 से 24.88 माईक्रोग्राम प्रति सामान्य घनमीटर है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्राप्त पी.यू.सी. सर्टीफिकेट प्रस्तुत की गई है।
8. ध्वनि प्रदूषण के मापन हेतु मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना किया जाना बताया गया है। जिसके अनुसार अधिकतम ध्वनि लेवल 88.8 डी.बी. तथा न्यूनतम ध्वनि लेवल 85.2 डी.बी. है। कार्य स्थल में ध्वनि का स्तर 85 डी.बी. से कम रखे जाने हेतु अपनाये जाने वाले सुरक्षात्मक उपाय के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
9. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता पी.एच., पी.एस.एस., ऑयल एण्ड ग्रीस, फ्लुराईड्स, बी.ओ.डी. एवं सी.ओ.डी. का सान्द्रण लेवल निर्धारित मानक के भीतर है।
10. कर्मचारियों के सुरक्षा हेतु पी.पी.ई. किट प्रदाय किया जाता है। साथ ही समय–समय पर कर्मचारियों का हेल्थ चेकअप (occupational health surveillance) कराया जाता है।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट सेल की स्थापना की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान के तहत् 18,79,03,563.08 रूपये खर्च किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. खदान की कुल लागत का ब्रेकअप प्रस्तुत किया जाए।
2. ब्लास्टिंग हेतु डी.जी.एम.एस. से प्राप्त अनुमति की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
3. कार्य स्थल में ध्वनि का स्तर 85 डी.बी. से कम रखे जाने हेतु अपनाये जाने वाले सुरक्षात्मक उपाय के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–3: परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों में अवलोकन पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स कैलाश कास्टिंग प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नं. 43 एवं 46, ग्राम–सांकरा, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेज–2, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2040)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 273722/ 2022, दिनांक 23/08/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–सांकरा, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेज–2, जिला–रायपुर स्थित प्लॉट नं. 43 एवं 46, कुल क्षेत्रफल – 4.061 एकड़ में क्षमता विस्तार के तहत् इण्डक्शन फर्नेस (एम.एस. इंगाट्स) – 25,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर इण्डक्शन फर्नेस विथ सी.सी.एम. हॉट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल (रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स) – 59,900 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपए 17.5 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 424वीं बैठक दिनांक 20/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अनिल कुमार गुप्ता, डॉयरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. जल एवं वायु सम्मति –

   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा एम.एस. इंगाट्स क्षमता – 25,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 06/03/2021 को जारी की गई है, जो दिनांक 30/11/2022 तक की अवधि हेतु वैध है।

   - वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं की गई है।

2. समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –

   - निकटतम आबादी ग्राम–सांकरा 1.3 कि.मी. एवं शहर रायपुर 11.05 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन माढ़र 7.5 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.4 कि.मी. दूर है। खारून नदी 3.05 कि.मी. दूर है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, घोषित पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. भू–स्वामित्व – भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है, जिसके अनुसार भूमि मेसर्स कैलाश कास्टिंग प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर है। उक्त भूमि सीएसआईडीसी से लीज में प्राप्त की गई है।

4. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –

S. No.	Particular	Area in sqm. (Existing)	Area After Proposed Expansion sqm.	Area in %
1.	Induction Furnace Area	1,640	2,460	15
2.	Rolling Mill Area	Nil	1,475.46	9
3.	Finished Good Area	492.73	737.73	4.5
4.	Raw Material Yard	544.7	819.7	5
5.	Parking Area	500	655.76	4
6.	Road Area	786.91	786.91	4.8
7.	Green Belt Area	4,590	6,560	40.01
8.	Area for future expansion	7,839.66	2,998.44	17.69
Total		**16,394**	**16,394**	**100**

5. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

Particulars	Existing Capacity (in TPA)	After Expansion Capacity (in TPA)
Unit	Induction Furnace (2 x 8 TPH)	Induction Furnace with CCM & Rolling Mill (2 x 8 TPH + 1 x 8 TPH)
Production	Ingots - 25,000 TPA	Rerolled Product (Hot Charge) Billets - 59,900 TPA
Working Hour	12	15

6. रॉ–मटेरियल :–

S. No.	Raw Material	Existing Quantity (TPA)	After Proposed Quantity (TPA)	Source	Mode of Transport
1.	Sponge Iron	24,075	48,500	Open Market	By Road
2.	Scrap	7,383	15,000		
3.	Alloys	340	660		
Total		**31,798**	**64,160**		

7. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्क्रबर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया गया है। उपरोक्त व्यवस्था से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा गया है। प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बैग फिल्टर एवं 35 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त व्यवस्था से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 28 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस से इंगाट्स का उत्पादन किया जाता है। प्रस्तावित परियोजना हेतु हॉट चार्ज आधारित रोलिंग मिल की स्थापना उपरांत रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स का उत्पादन किया जाएगा।

8. ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –

S. No.	Waste	Existing Quantity (TPA)	After Proposed Quantity (TPA)	Method of Disposal
1.	Slag	1,200	2,450	Sold to Slag Processing Unit
2.	Used Oil	100	180	Sold to Authorized

				Vendors
3.	Kitchen waste	4.5 kg/day	10 kg/day	Bio Composting

समिति का मत है कि प्रस्तावित रोलिंग मिल से जनित होने वाले मिल स्केल एवं एण्ड कटिंग की मात्रा एवं अपवहन व्यवस्था के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 20 घनमीटर जल प्रतिदिन (कुलिंग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 32 घनमीटर प्रतिदिन (कुलिंग हेतु 16 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि लिमिटेड के माध्यम से की जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि लिमिटेड से अनुमति प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कुलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 8 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। डिसईन्फेक्शन हेतु हाईपोक्लोराईड का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 9,052 घनमीटर है। वर्तमान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 2 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर एवं गहराई 2.5 मीटर) क्षमता का निर्मित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 5 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर एवं गहराई 2.5 मीटर) क्षमता का निर्मित किया जाना प्रस्तावित

है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 4 मेगावॉट विद्युत खपत किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु 8.5 मेगावॉट विद्युत खपत होगा। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 1 नग 250 के.व्ही.ए. एवं 1 नग 125 के.व्ही.ए. क्षमता का डी.जी. सेट एकॉस्टिक इंक्लोजर में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु क्षेत्रफल 4,590 वर्गमीटर क्षेत्र में 690 नग वृक्षारोपण परिसर के चारों तरफ किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल 6,560 वर्गमीटर (कुल क्षेत्रफल का 40.01 प्रतिशत) क्षेत्र में 950 नग वृक्षारोपण परिसर के चारों तरफ किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि वर्तमान में हरित पट्टिका 5 मीटर चौड़ी नहीं है। साथ ही रोपित 690 नग वृक्षों के प्रजाति का विवरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। पाम, बोगेनविलिया एवं गुलमोहर जैसी प्रजातियां मान्य नहीं है। करंज, आम एवं जामुन जैसी लम्बी उम्र की प्रजातियां रोपित किया जाना आवश्यक है।

12. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – स्थापित इण्डक्शन फर्नेस से उत्पादन की दशा में एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत इण्डक्शन फर्नेस विथ सी.सी.एम. हॉट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल से उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा/गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार वर्तमान में पार्टिकुलेट मेटर 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 9,124 किलोग्राम प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित क्षमता विस्तार उपरांत बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 28 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 8,145 किलोग्राम प्रतिवर्ष होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को पुनःउपयोग किया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। वर्तमान में एवं प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि तथा (3) जल उपभोग की मात्रा में वृद्धि होना संभावित है।

13. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh

				Rupees)
1750	1%	17.50	Following activities at nearby proposed site & Govt Primary School Village-Sondra	
			Pavitra Van Nirman at Village-Siltara	8.70
			Rain Water Harvesting System in schools	5.75
			Drinking Water Facility with 3 year AMC in schools	1.50
			Running Water Facilities in schools	1.50
			Plantation in schools	1.30
			Total	18.75

14. प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् ग्राम पंचायत सिलतारा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान, सुपर ग्लोबल से श्री बजरंगबली इंगट एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड के सामने ओपन एरिया 2 एकड़ में वृक्षारोपण तथा वंदना ग्लोबल चौक में निःशुल्क पेयजल व्यवस्था कराये जाने बाबत् अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसराबार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. वर्तमान स्थिति में विनियोग की कुल लागत का ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाए।
2. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को लेख किया जाए।
3. प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जनित स्लज के अपवहन हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. रोलिंग मिल से जनित होने वाले मिल स्केल एवं एण्ड कटिंग की मात्रा एवं अपवहन व्यवस्था के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
5. उद्योग के विभिन्न इकाईयों (इण्डक्शन फर्नेस सिथ सीसीएम, एस.टी.पी., रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, रॉ–मटेरियल यार्ड), पार्किंग एरिया, रोड एरिया, 40.01 प्रतिशत वृक्षारोपण, इत्यादि को दर्शाते हुए ले–आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत की जाए। वर्तमान एवं प्रस्तावित ले–आउट को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए।

6. रोपित 690 नग वृक्षों के प्रजाति का विवरण प्रस्तुत किया जाए। साथ ही कुल क्षेत्रफल का 40.01 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने हेतु प्रस्ताव सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। पाम, बोगेनविलिया और गुलमोहर जैसी प्रजातियाँ मान्य नहीं है। लम्बी आयु की वृक्ष प्रजातियों का चयन कर रोपण किया जाए।

7. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।

8. वर्तमान में कितने नग वृक्ष, कौन–कौन से प्रजाति के वृक्षों का रोपण किया गया है तथा प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत कितने नग वृक्ष, कौन–कौन से प्रजाति के वृक्षों का रोपण किया जाना है, इस संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/11/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 27/02/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 454वीं बैठक दिनांक 20/09/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. वर्तमान स्थिति में विनियोग की कुल लागत का ब्रेक–अप प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार:–

Particulars	Cost (Lakh)
Land & Site Development	14.06
Shed & Building	85.34
Plant & Machinery	278.76
Electrical Installation	46.67
Total Investment	**424.83**

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 7878, दिनांक 08/02/2023 के माध्यम से वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत की गई है, जिसमें सभी शर्तों का पूर्ण पालन किये जाने का उल्लेख है।

3. प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जनित स्लज को वृक्षारोपण हेतु खाद के रूप में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।

4. रोलिंग मिल से जनित होने वाले मिल स्केल एवं एन्ड कटिंग की मात्रा एवं अपवहन व्यवस्था के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार मिल स्केल की मात्रा 620 टन प्रतिवर्ष एवं एन्ड कटिंग की मात्रा 1,200 टन प्रतिवर्ष को प्रोसेस में पुनः उपयोग किया जाएगा।

5. उद्योग के विभिन्न इकाईयों (इण्डक्शन फर्नेस विथ सीसीएम, एस.टी.पी., रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, रॉ–मटेरियल यार्ड), पार्किंग एरिया, रोड एरिया, 40.01 प्रतिशत वृक्षारोपण, इत्यादि को दर्शाते हुए ले–आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार:–

S. No.	Particular	Area in sqm. (Existing)	Area After Proposed Expansion sqm.	Area in %
1.	Induction Furnace Area	1,640	2,460	15
2.	Rolling Mill Area	Nil	1,475	9
3.	Finished Good Area	492.73	738	4.5
4.	Raw Material Yard	544.7	819	5
5.	Parking Area	500	656	4
6.	Road Area	786.91	787	4.8
7.	Green Belt Area	4,590	6,560	40.01
8.	Area for future expansion	7,839.66	2,899	17.68
Total		**16,394**	**16,394**	**100**

वर्तमान एवं प्रस्तावित ले–आउट को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है।

6. रोपित 690 नग वृक्षों के प्रजाति जैसे:– आम, कनेर, बादाम, नीम आदि का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही कुल क्षेत्रफल का 40.01 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने हेतु प्रस्ताव सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार 950 नग पौधों के लिए राशि 1,14,000 रूपये एवं खाद के लिए राशि 28,500 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,47,800 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 3,90,300 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 7,90,800 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

7. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण (ईको पार्क)" के तहत् 2000 नग पौधों के लिए राशि 80,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,00,000 रूपये एवं खाद के लिए राशि 60,000 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,07,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 5,47,000 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 6,36,000 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत सिलतरा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 379/5, क्षेत्रफल 2 एकड़) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

8. वर्तमान में 4,590 वर्गमीटर (28 प्रतिशत) क्षेत्र में 690 नग वृक्ष, आम, कनेर, बादाम, नीम आदि प्रजाति के वृक्षों का रोपण किया गया है तथा प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत 6,560 वर्गमीटर (40.01 प्रतिशत) क्षेत्र में अतिरिक्त 950 नग वृक्ष, नीम, पीपल, आम, करंज, कदम, बादाम, जामुन, आंवला, अमलतास, सिल्वर ओक आदि प्रजाति के वृक्षों का रोपण किया जाना है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स कैलाश कास्टिंग प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–सांकरा, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेज–2, जिला–रायपुर स्थित प्लॉट नं. 43 एवं 46, कुल क्षेत्रफल – 4.051 एकड़ में क्षमता विस्तार के तहत् इण्डक्शन फर्नेस (एम.एस. इंगाट्स) – 25,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर इण्डक्शन फर्नेस विथ सी.सी.एम. हॉट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल

(रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स) – 59,900 टन प्रतिवर्ष की स्थापना करने हेतु परिशिष्ट–04 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. **मेसर्स गोदावरी पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड (आरीडोंगरी आयरन ओर माईन), ग्राम–कच्चे एवं पर्रेकोदो, तहसील–भानुप्रतापपुर, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2210)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 408229/2022, दिनांक 28/11/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह आयरन ओर (मुख्य खनिज) खदान है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ग्राम–कच्चे एवं पर्रेकोदो, तहसील–भानुप्रतापपुर, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर में Expansion proposal for Aridongari iron ore mines for enhancement of iron ore production capacity from existing 2.35 Mtpa to 6 MTPA with total excavation quantity of 21.34 MTPA, setting up by way of putting up of a new and enhancement / modification / replacement of existing iron ore crushing and screening plant from 2.35 MTPA to 6 MTPA of iron ore crushing, screening, grinding and benefication plant of 6 MTPA capacity, setting up of additional Dolerite / Grunerite Aggregate crushing and screening plant from 2 MTPA with increase in mine lease area from 138.96 Ha to 215.96 Ha (Total mining lease area as per block allotment is 138.96 Ha + 77 Ha additional land outside mine lease area for scientific disposal / dumping of overburden waste) के लिए टी.ओ. आर. हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत विनियोग का कुल लागत 27,891 लाख होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 23/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 444वीं बैठक दिनांक 29/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गंगा राम वर्मा, वाइस प्रेसिडेंट माईनिंग, श्री संजय श्रीवास्तव, असिसटेंट वाइस प्रेसिडेंट इन्फ्राएरोनेट एवं पर्यावरणीय सलाहकार के रूप में मेसर्स वरदान इन्फ्राएरोनेट, गुरूग्राम की ओर से श्री अंकुर अग्रवाल उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **चूर्ई में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. आयरन ओर (मुख्य खनिज) खदान कुल क्षेत्रफल–106.6 हेक्टेयर, क्षमता–7,05,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 25/06/2007 को जारी की गई।
   ii. आयरन ओर (मुख्य खनिज) खदान कुल क्षेत्रफल–106.6 हेक्टेयर से बढ़ाकर 138.96 हेक्टेयर क्षमता–7,05,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 14,05,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु

परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 12/12/2014 को जारी की गई। तत्पश्चात् आयरन ओर (मुख्य खनिज) खदान कुल क्षेत्रफल–106.6 हेक्टेयर से बढ़ाकर 138.96 हेक्टेयर क्षमता–7,05,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 14,05,000 टन प्रतिवर्ष हेतु संशोधित पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 26/05/2016 को जारी की गई।

iii. आयरन ओर (मुख्य खनिज) खदान कुल क्षेत्रफल–138.96 हेक्टेयर क्षमता–14,05,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 23,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 23/06/2021 को जारी की गई।

iv. परियोजना प्रस्तावक को एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 23/06/2021 का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

v. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 782/खनिज/ख.प./2022 कांकेर, दिनांक 02/12/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2013–14	3,25,797.61
2014–15	4,04,271.35
2015–16 (अप्रैल से अगस्त 2015 तक)	1,22,941.68
सितम्बर 2015–16	2,97,128.17
2016–17	9,85,179.41
2017–18	12,07,017.62
2018–19	11,82,025.24
2019–20	13,47,258.84
2020–21	13,99,971.09
2021–22	21,04,823.91
2022–23 (सितम्बर 2022 तक)	11,69,436.99

2. जल एवं वायु सम्मति –

- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा आयरन ओर क्षमता–2.35 मिलियन टन प्रतिवर्ष, आयरन ओर क्रशर विथ स्क्रीनिंग कंसिलिटी क्षमता–400 टन प्रतिघंटा, आयरन ओर स्क्रीनिंग प्लांट विथ मेगनेटिक सेपरेटर क्षमता–250 टन प्रतिघंटा एवं डोलेराईट क्रशिंग एण्ड स्क्रीनिंग प्लांट क्षमता–2 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 07/07/2022 को जारी की गई है, जो कि दिनांक 15/08/2024 तक वैध है।

- वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत परैकोढ़ो का दिनांक 07/10/2022 एवं ग्राम पंचायत कच्चे का दिनांक 27/10/2012 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. **उत्खनन योजना** – रिव्यूड ऑफ माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो के ज्ञापन क्रमांक/कांकेर/लौह/खयो–1227/2019 रायपुर, दिनांक 09/01/2020 द्वारा अनुमोदित है। प्रस्तुत माईनिंग प्लान कुल क्षेत्रफल 138.96 हेक्टेयर, आयरन ओर माईन क्षमता 23,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु अनुमोदित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि माईनिंग प्लान अनुमोदन हेतु ड्राफ्ट माईनिंग प्लान भारतीय खान ब्यूरो में प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि प्रस्तावित क्षेत्रफल 215.96 हेक्टेयर, आयरन ओर माईन क्षमता 60,00,000 टन प्रतिवर्ष हेतु अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा जारी आवेदित खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा नहीं के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. **लीज संबंधी विवरण** – लीज डीड मेसर्स गोदावरी पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड के नाम पर है, जो निम्नानुसार है–

Details	Lease Area	Date of Deed Execution	Period	Valid Up to
Lease Deed Execution for Kachche (Aridongri) Iron Ore Lease 32.36 Ha	32.36 Ha	12.05.2015	50 years from 12.05.2015	11.05.2065
Lease Deed Execution for Kachche (Aridongri) Iron Ore Lease 106.60 Ha	106.60 Ha	30.09.2008	20 years from 30.09.2008	30.09.2028
Amendment in Lase Deed for Kachche (Aridongri) Iron Ore Lease 106.60 Ha for extension of validity period as per Mines and Minerals (Development and Regulation) (Amendment) Ordinance, 2015	106.60 Ha	03.09.2015	50 years from 30.09.2008	29.09.2058
Amalgamation of Kachche (Aridongri) Iron Ore Lease 32.36 Ha and 106.60 Ha	138.96 Ha	03.09.2015	50 years from 30.09.2008	29.09.2058

7. **भू–स्वामित्व** – उत्खनन हेतु कुल क्षेत्रफल 138.96 हेक्टेयर है, जिसमें से 127.4 हेक्टेयर वन भूमि एवं शेष 11.56 हेक्टेयर राजस्व भूमि है। साथ ही लीज क्षेत्र के बाहर 77 हेक्टेयर (63.79 हेक्टेयर शासकीय भूमि एवं शेष 13.21 हेक्टेयर निजी भूमि) भूमि में ओवर बर्डन को भण्डारित/अपवहन किया जाना बताया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि शासकीय भूमि 63.79 हेक्टेयर में से 2.65 हेक्टेयर का आबंटन प्राप्त किया गया है, जिसमें शर्तानुरूप पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु लेख किया गया है। अतः शेष 61.14 हेक्टेयर राजस्व भूमि का आबंटन पत्र प्रस्तुत किये जाने बाबत् परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाना आवश्यक है। भूमि संबंधी

जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। समिति का मत है कि भूमि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन दिनांक 04/08/2008 द्वारा जारी पत्र अनुसार 106.6 हैक्टेयर वन क्षेत्र को आरीडोंगरी आयरन ओर माईन के नाम पर शर्तों के अधीन डायवर्सन किया गया है। साथ ही भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन दिनांक 19/02/2015 द्वारा जारी पत्र अनुसार 32.36 हैक्टेयर वन क्षेत्र को फारेस्ट कम्पार्टमेंट नम्बर आरएफ 139(808) ग्राम–कच्चे जिला–बस्तर में आयरन ओर माईन के लिए शर्तों के अधीन डायवर्सन किया गया है। समिति का मत है कि दिये गये शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम शहर दल्ली राजहरा 26 कि.मी. एवं रेल्वे स्टेशन गुडुम 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 157 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 1 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. लीज क्षेत्र के बफर जोन के अंतर्गत आरक्षित वन पिपाकोन्ट्टा, राजोबिहिह, उनोचापानी, मगर्धा जबकसा, नापुर एवं संरक्षित वन कान्दे, लिमोडीह, मारडेल, रनवाही है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3.768 हेक्टेयर है। वर्तमान में ओपन कास्ट फुल्ली मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। बेंच की ऊंचाई 6 से 8 मीटर एवं चौड़ाई 6 से 12 मीटर है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है। जेक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 501 घनमीटर प्रतिदिन (आयरन ओर बेनिफिकेशन प्लांट के लिए 417 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन के लिए 30 घनमीटर प्रतिदिन, ईक्यूपमेंट वाशिंग के लिए 8 घनमीटर प्रतिदिन, ड्रिंकिंग एवं सेनिटेशन के लिए 46 घनमीटर प्रतिदिन) होगी, जिसमें से 300 घनमीटर प्रतिदिन को भू–जल से उपयोग किया जाएगा एवं शेष 201 घनमीटर प्रतिदिन को माईन सम्प से जल की आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है। भू–जल की उपयोगिता हेतु 300 घनमीटर प्रतिदिन के लिए सेन्ट्रल ग्राउन्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **मिनरल प्रोसेसिंग एवं बेनीफिकेशन** – वर्तमान में 3 स्टेज क्रशिंग एवं स्क्रीनिंग क्षमता 2.35 मिलियन टन प्रतिवर्ष स्थापित है। 250 टन प्रतिघंटा क्षमता का स्क्रीनिंग के साथ ड्राई मेग्नेटिक सेपरेटर तथा 2 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता का डोलोमाईट क्रशिंग एवं स्क्रीनिंग स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु 1000 टन प्रतिघंटा क्षमता का क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही क्रशिंग एवं स्क्रीनिंग इकाई के प्रायमरी जॉ, सेकेन्ड्री एवं टरश्यरी कोन क्रशर एवं स्क्रीन्स में

उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में सम्मति प्राप्त लो–ग्रेड आयरन ओर बेनीफिकेशन प्लांट की स्थापना का कार्य प्रगति पर होना बताया गया है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में तीन पंक्तियों में वृक्षारोपण किये जाने हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत परियोजना प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से 31/01/2022 के मध्य किया गया है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी समस्त पर्यावरणीय स्वीकृतियों का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में तीन पंक्तियों में वृक्षारोपण किये जाने हेतु, पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत परियोजना प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।

3. शासकीय राजस्व भूमि एवं निजी भूमि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उत्खनन/भण्डारण हेतु भू–स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए (यदि आवश्यक हो)।

4. शासकीय भूमि 83.79 हेक्टेयर में से 2.65 हेक्टेयर का आबंटन प्राप्त किया गया है, जिसमें शर्त अनुरूप पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु लेख किया गया है। अतः शेष 81.14 हेक्टेयर राजस्व भूमि का आबंटन पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

5. वर्तमान उत्पादन क्षमता के स्थिती में ले–आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाए।

6. क्षमता विस्तार उपरांत ले–आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाए।

7. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के तहत् किये गए सी.ई.आर. कार्यों का व्यय एवं फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन दिनांक 04/08/2008 एवं 19/02/2015 द्वारा जारी आवरन ओर माईनिंग के लिए दिये गये वन भूमि का डायवर्सन के शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 08/03/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 454वीं बैठक दिनांक 20/03/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 09/02/2023 द्वारा पूर्व में जारी समस्त पर्यावरणीय स्वीकृतियों का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार निम्नानुसार शर्तों का आंशिक एवं अपूर्ण पालन होना बताया गया है:-

   i. सतत् परिवेशीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना किया जाना बताया गया है, किन्तु सी.पी.सी.बी. एवं सी.ई.सी.बी के सर्वर से कनेक्ट (Connect) नहीं किया गया है।

   ii. बैग फिल्टर एवं वैक्यूम सक्शन हूड की स्थापना नहीं किया गया है, वॉटर स्प्रिंकलिंग की व्यवस्था की गई है। स्थापित कन्वेयर बेल्ट पूर्ण रूप से ढके हुए नहीं है।

   iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर छःमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है।

   iv. अनुमोदित वन्य प्राणी संरक्षण योजना की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

   समिति का मत है कि उक्त अपूर्ण शर्तों के संबंध में जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

2. स्वीकृत लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में नियमानुसार वृक्षारोपण किया गया है। वर्ष 2009-10 से 2022-2023 तक कुल 1,25,635 पौधा रोपण किया गया है। पौधों का जीवन दर (Survival Rate) 90 प्रतिशत है। इसका विवरण तृतीय पक्ष द्वारा सत्यापित प्रतिवेदन सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

   बिगड़े वन क्षेत्र 5.014 कि.मी. (सेफ्टी जोन का डेढ़ गुणा) क्षेत्र पर वृक्षारोपण हेतु परियोजना की लागत राशि रूपये 15,04,200/- छत्तीसगढ़ कैम्पा मद में जमा किया गया है।

   उपरोक्त के अतिरिक्त परियोजना विस्तार अन्तर्गत सेफ्टी जोन 7.5 मीटर की पट्टी में तीन पंक्तियों में वृक्षारोपण किये जाने हेतु घटकवार व्यय सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार

Description		Within 7.5 m wide safety zone				
		2023–24	2024–25	2025–26	2026–27	2027–28
		Gap Filling in safety Zone of existing mining lease Area	Safety zone of additional 77 ha Lease area & Gap Filling in existing safety Zone Area	Gap Filling in Total Safety Zone area	Gap Filling in Total Safety Zone area	Gap Filling in Total Safety Zone area
15,000 Sampling Proposed to be planted	Plantation Amount (With 90% Survival Rate)	95,012	11,87,012	7,31,012	3,88,012	2,45,012
	Fencing Amount	8,46,036	8,96,287.92	1,20,948	1,20,948	1,20,948
	Amount of Cow dung & manure	8,793.38	1,01,033.38	63,728.38	35,413.38	24,728.38
	Amount of Watering, Caring & Mainte - nance	6,14,852	6,87,012	5,60,402	5,39,402	5,30,402
Total Amount = 78,96,994.9		15,64,693.38	28,51,345.3	14,76,090.38	10,83,775.38	9,21,090.38

3. शासकीय राजस्व भूमि के आबंटन संबंधी दस्तावेज एवं निजी भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में कार्यालय कलेक्टर, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के आदेश क्रमांक/113/कले./रीडर/2021 कांकेर, दिनांक 22/06/2021 की प्रति प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तावित परियोजना हेतु अर्जन की जा रही अतिरिक्त भूमि पर आयरन ओर उत्खनन से प्राप्त ओव्हर बर्डन एवं रिजेक्ट्स को वैज्ञानिक पद्धति से डम्प किया जाना प्रस्तावित है तथा उक्त भूमि पर उत्खनन नहीं किया जाएगा।

4. शासकीय भूमि 63.79 हेक्टेयर में से 2.65 हेक्टेयर का आबंटन प्राप्त किया गया है, जिसमें शर्त अनुरूप पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु लेख किया गया है। अतः शेष 61.14 हेक्टेयर राजस्व भूमि का आबंटन पत्र कार्यालय कलेक्टर, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर में प्रक्रियाधीन है। इस संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भानुप्रतापपुर, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1585/अ.वि.अ./रीडर–2/2022 भानुप्रतापपुर, दिनांक 22/11/2022 द्वारा कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर को रिजेक्ट /वेस्ट मटेरियल डम्प करने हेतु शासकीय भूमि आवंटित करने बाबत् प्रेषित पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि आयरन ओर उत्खनन के दौरान प्राप्त ओव्हर बर्डन/ रिजेक्ट्स के वैज्ञानिक पद्धति से डम्प करने हेतु आवश्यक अतिरिक्त भूमि को सम्मिलित करते हुये (कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 215.96 हेक्टेयर आयरन ओर माईन क्षमता 60 लाख टन प्रतिवर्ष हेतु) सम्मेलन माईनिंग प्लान (amalgamated mining plan), भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही राज्य शासन से सम्मेलन लीज

डीड/एल.ओ.आई. (amalgamated lease deed / letter of intent) प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. वर्तमान उत्पादन क्षमता की स्थिति में ले–आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया गया है।

6. क्षमता विस्तार उपरांत के स्थिति में ले–आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया गया है।

7. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के तहत् किये गए सी.ई.आर. कार्यों का पूर्ण पालन किये जाने बाबत् प्रतिवेदन/जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

8. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल, भानुप्रतापपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.धि./2023/1317 भानुप्रतापपुर, दिनांक 23/02/2023 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत स्वीकृत उत्खनन प्रकरणों के अंतिम चरण की स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त पालन प्रतिवेदन में उल्लेखित अपूर्ण/आंशिक अपूर्ण शर्तों के पालन के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

2. प्रक्रियाधीन शेष 61.14 हेक्टेयर राजस्व भूमि का आबंटन पत्र सक्षम अधिकारी/राज्य शासन से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के तहत् किये गए सी.ई.आर. कार्यों का व्यय एवं फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

4. प्रस्तावित क्षेत्रफल 218.96 हेक्टेयर, आवरन और माईन क्षमता 60,00,000 टन प्रतिवर्ष हेतु समामेलन माईनिंग प्लान (amalgamated mining plan), भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए। साथ ही समामेलन लीज डीड/एल.ओ.आई. (amalgamated lease deed / letter of intent) राज्य शासन से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स घनश्याम देवांगन (भाठागांव सीईल/आँडिनरी क्ले क्वारी), ग्राम–भाठागांव, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2103)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/275252/2022, दिनांक 09/07/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–भाठागांव, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 117 एवं 120, कुल क्षेत्रफल – 1.032 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 16/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री घनश्याम देवांगन, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित लीज क्षेत्र में केवल मिट्टी उत्खनन का कार्य किया जाएगा एवं चिमनी स्थापित नहीं की जाएगी। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष फॉर्म में त्रुटि सुधार करने हेतु ऑनलाईन में ए.डी.एस. जारी करने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को फॉर्म में त्रुटि सुधार करने एवं चिमनी को हटाते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान ऑनलाईन में प्रस्तुत करने हेतु ए.डी.एस. (Additional Document Shortcoming) जारी करने के पश्चात् वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/01/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 06/03/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 454वीं बैठक दिनांक 20/03/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा फॉर्म में त्रुटि सुधार कर एवं प्रस्तावित लीज क्षेत्र में केवल मिट्टी उत्खनन का कार्य किये जाने बाबत् चिमनी को हटाते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स शुभम सिंडिकेट एलएलपी, प्लाट नं. 01 से 05, बोरई इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, ग्राम–रसमड़ा, तहसील व जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2051)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी3/ 77461/2022, दिनांक 28/06/2022 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी3/ 411631/ 2022, दिनांक 23/12/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह एक प्रस्तावित केमिकल यूनिट फॉर मेन्युफेक्चरिंग ऑफ फॉर्मेल्डिहाईड है। यह इकाई बोरई इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, ग्राम–रसमड़ा, तहसील व जिला–दुर्ग स्थित प्लाट क्रमांक 1, 2, 3, 4 एवं 5, कुल क्षेत्रफल–0.8168 हेक्टेयर

(8,168 वर्गमीटर) में फॉर्मलडिहाईड क्षमता–36,000 टन प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित है। परियोजना का विनियोग रुपये 9 करोड़ होगी।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/12/2022 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अन्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 5(घ) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 448वीं बैठक दिनांक 24/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुधीर जैन, पार्टनर उपस्थित हुए। उनके द्वारा बताया गया कि पर्यावरण सलाहकार उपस्थित नहीं होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक दिनांक 25/01/2023 में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित आगामी आयोजित बैठक दिनांक 25/01/2023 में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं दूरभाष के माध्यम से सूचित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 449वीं बैठक दिनांक 25/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुधीर जैन, पार्टनर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स इन्वायरो इन्फ्रा सॉल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड, गाजियाबाद की ओर से श्री दीपक पाण्डेय उपस्थित हुए। समिति द्वारा गत्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम शहर दुर्ग 10 कि.मी., स्कूल 2 कि.मी. एवं जिला अस्पताल 760 मीटर की दूरी पर स्थित है। रेल्वे स्टेशन दुर्ग 12 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानन्द विमानपत्तन माना, रायपुर 66 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.7 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 3 कि.मी. दूर है।
2. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
3. **लैण्ड एरिया स्टेटमेंट** –

S.No.	Land use	Area	
		(m^2)	(%)
1.	Total Covered area (Proposed)	1,109	13.58
2.	Green Belt Area (Proposed)	3,676	45.00
3.	Paved & Open Area (Proposed)	1,583	19.38

4.	Road Area	1,800	22.04
	Total	**8,168**	**100**

4. छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवहालपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ज्ञापन क्रमांक 2/10/ 009/ ओटीएच/1 to 5/ 20220502/ 3041 रायपुर, दिनांक 09/05/2022 द्वारा औद्योगिक क्षेत्र बोरई में प्रस्तावित परियोजना के लिए भूमि आबंटन हेतु एल.ओ.आई. (Land allotment) जारी की गई है।

5. **प्रोसेस एवं टेक्नालॉजी** – फॉर्मेलडिहाईड के निर्माण हेतु मेथेनॉल टैंक, मिक्सिंग टैंक, बॉयलर, रियेक्टर विथ सिल्वर बेड, स्टीम जनरेटर, एब्सॉसन टॉवर, हिट एक्सेन्जर, कूलिंग वॉटर, डिस्टिलेशन आदि प्रोसेस किया जाना प्रस्तावित है। फॉर्मेलडिहाईड के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में मेथेनॉल एवं उत्प्रेरक (Catalyst) के रूप में सिल्वर का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक से मेथेनॉल को पम्प के माध्यम से मिक्सिंग टैंक में ले जाया जाएगा। मिक्सिंग टैंक में पानी का उपयोग किया जाकर डायल्युट मेथेनॉल सॉल्युशन प्राप्त किया जाएगा। तत्पश्चात् डायल्युट मेथेनॉल सॉल्युशन को इवापोरेटर (Evaporator) में हवा एवं स्टीम के साथ उचित अवस्था में वाष्पीकृत किया जाएगा। इवापोरेटर (Evaporator) से प्राप्त मिश्रण (हवा, मेथेनॉल एवं स्टीम) को रियेक्टर (Containing Catalyst Silver Bed) से गुजारने के पश्चात् गैसीय अवस्था में फॉर्मेलडिहाईड (By Exothermic Reaction) प्राप्त होगा। 670°C के गैसीय फॉर्मेलडिहाईड के मिश्रण को कन्डेन्सार (Condenser) से गुजारने के पश्चात् गैसीय अवस्था में फॉर्मेलडिहाईड का मिश्रण 110°C में प्राप्त होगा। लिक्विड फॉर्मेलडिहाईड (Desired Liquid Formaldehyde) प्राप्त करने हेतु फॉर्मेलडिहाईड के मिश्रण को पुनःचक्रण किया जाना प्रस्तावित है।

6. **रॉ–मटेरियल** –

Raw Material	Quantity	Source	Transpotation Mode
Methanol	18,000 TPA	Chemical Market	Road
Silver (As Catalyst)	100 Kg	Catalyst Supplier	Road

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – एक्जास्ट गैस (उत्सर्जित गैस) को पूरी प्रक्रिया के माध्यम से चैनलाइज्ड किया जाएगा एवं इसका उपयोग विभिन्न प्रक्रिया जैसे हिटिंग, रासायनिक उपयोग आदि में किया जाएगा। नॉन आई.बी.आर. (Non Indian Boiler Regulation) बॉयलर में ईंधन के रूप में हाई सल्फर डीजल (HSD) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है, बॉयलर में चिमनी की ऊंचाई 6 मीटर प्रस्तावित है। समिति का मत है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार बॉयलर में चिमनी की गणना कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया हेतु ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होगी। प्रक्रिया से उत्पन्न यूस्ड ऑयल 48 लीटर प्रतिवर्ष को अधिकृत रिसाईक्लर को विक्रय किया जाएगा। यूस्ड प्लॉस्टिक शीट्स, कार्ड–बोर्ड बॉक्सेस को रिसाईक्लर को विक्रय किया जाएगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित औद्योगिक प्रक्रिया से कोई ठोस अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होगी। इस संबंध में समिति का मत है कि प्रस्तावित औद्योगिक प्रकिया से कोई ठोस

अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 120 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक प्रक्रिया हेतु 80 घनमीटर प्रतिदिन, कुलिंग टावर हेतु 30 घनमीटर प्रतिदिन, वृक्षारोपण हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन एवं घरेलू हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन) जल का उपयोग किया जाएगा। जल की आपूर्ति औद्योगिक क्षेत्र (Through pipe link) से लिया जाना प्रस्तावित है। जल की आपूर्ति हेतु सी.एस.आई.डी.सी. से अनुमति प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होगी। कुलिंग टावर से प्राप्त दूषित जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। कुलिंग टावर से कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को घरेलू उपयोग के तहत् टॉयलेट फलशिंग में किया जाएगा। घरेलू दूषित जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जिसके उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया जाएगा। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ)वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब)ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 115.3 घनमीटर प्रतिघंटा है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 2 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, गहराई 3 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सके तथा सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाए कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु 300 किलोवॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 1 नग 300 के.व्ही.ए. क्षमता का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा। डी.जी. सेट को एकॉस्टिकली इंक्लोजर में स्थापित किया जाएगा। जिसमें रूफ लेवेल से 6 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित की जाएगी।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 3,676 वर्गमीटर (लगभग 45 प्रतिशत) क्षेत्र में 1,000 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार वृक्षारोपण के लिए राशि 2,00,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,50,000 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 2,00,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 5,50,000 रूपये एवं कुल

राशि 5,20,000 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

12. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :–

i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – मॉनिटरिंग कार्य अप्रैल 2022, से जून 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल :–

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum (µg/m^3)	Maximum (µg/m^3)	CPCB Standard (µg/m^3)
$PM_{2.5}$	18.6	42.8	60
PM_{10}	22.5	84.0	100
SO_2	5.3	13.7	80
NO_2	11.9	20.4	80

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता– ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फेट, कार्बोनेट्स, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर–

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	50.2	54.0	55
Night L_{eq}	40.1	43.0	45

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. पी.सी.यू. की गणना– भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार–

Status	PCU / Hr	V/C ratio
Existing	501.41	0.29
Proposed	573.47	0.33

विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सडक मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Very Good 0.2-0.4) के भीतर है।

13. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh

				Rupees)
900	2%	18	Following activities at, Village- Rasmada	
			Eco Park Nirman	20
			Total	20

14. सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण" के तहत् वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 80,000 रूपये एवं झाड़ियाँ (Shrubbs development) के लिए राशि 60,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 3,71,800 रूपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 80,000 रूपये, 6 नग सिटिंग चेयर के लिए राशि 1,20,000 रूपये, 2 नग झूले के लिए राशि 60,000 रूपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,28,200 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 10,00,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 10,00,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत रसमड़ा से सहमति उपरांत यथाप्रोग्य स्थान (मुक्तिधाम के पास, खसरा क्रमांक 1048, रकबा 0.121 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

15. "मेथेनाल के भंडारण हेतु संबंधित विभाग से उनके शर्तों व नियमों के तहत् आवेदन कर भंडारण करने हेतु लाईसेंस लिया जाएगा एवं सभी नियमों का पालन किया जाएगा" इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

16. "Whatever unreacted methanol will be generated in the manufacturing process will be used again in the process along with fresh raw material." इस आशय का अंडरटेकिंग (undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

17. "No litigation is pending in any court of law." इस आशय का अंडरटेकिंग (undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि–

1. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार बॉयलर में चिमनी की ऊंचाई की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

2. प्रस्तावित औद्योगिक प्रक्रिया से कोई ठोस अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए। साथ ही इस आशय का भी शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि यदि प्रक्रिया से कोई परिसंकटमय अपशिष्ट उत्पन्न होता है, तो परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् प्राधिकार प्राप्त किया जाएगा।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अण्डरटेकिंग (undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 449वीं बैठक दिनांक 25/01/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 13/03/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 454वीं बैठक दिनांक 20/03/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार बॉयलर में चिमनी की ऊंचाई 9.12 मीटर रखे जाने की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की गई है। साथ ही केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार बॉयलर में चिमनी की ऊंचाई कम से कम 9.12 मीटर रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रस्तावित औद्योगिक प्रक्रिया से कोई ठोस अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। साथ ही इस आशय का भी शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि यदि प्रक्रिया से कोई परिसंकटमय अपशिष्ट उत्पन्न होता है, तो परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् प्राधिकार प्राप्त किया जाएगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स शुभम सिंडिकेट एलएलपी, बोरई इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, ग्राम–रसमड़ा, तहसील व जिला–दुर्ग स्थित प्लाट क्रमांक 1, 2, 3, 4 एवं 5, कुल क्षेत्रफल–0.8168 हेक्टेयर (8,168 वर्गमीटर) में प्रस्तावित केमिकल यूनिट फॉर मेन्युफेक्चरिंग ऑफ फॉर्मेलडिहाईड क्षमता–36,000 टन प्रतिवर्ष की स्थापना करने हेतु परिशिष्ट–08 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–4: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 448वीं, 449वीं, 450वीं एवं 451वीं बैठक क्रमशः दिनांक 24/01/2023, 25/01/2023, 09/02/2023 एवं 10/02/2023 को संपन्न हुई थी। समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन क्रमशः दिनांक 06/03/2023 एवं 10/03/2023 को किया गया।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(डी. राहुल वेंकट)
सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)
अध्यक्ष
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

मेसर्स नांदगांव फर्सी पत्थर माईन (प्रो.– श्री वीरेन्द्र लोणारे) को खसरा क्रमांक 2735/2 एवं 2757/1, कुल लीज क्षेत्र 1.27 हेक्टेयर, ग्राम–नांदगांव, तहसील व जिला–महासमुंद में फर्सी पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन – 6,156 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.27 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से फर्सी पत्थर का अधिकतम उत्खनन 6,156 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
3. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
4. क्लस्टर हेतु तैयार ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, उक्त स्थलों पर प्रतिमाह मॉनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को अर्धवार्षिक (**Half yearly Monitoring Report**) प्रेषित की जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
6. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसी प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. खनि पट्टा धारक खनन संचालन बंद करने के उपरांत (**after ceasing mining operations**) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (**disturbed due to their mining activities**) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (**re-grassing**) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक

किया जाएगा, जिससे यह धारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

8. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्त्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

9. किसी विमनी / बेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वांइट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विन्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

10. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।

12. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।

13. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि को पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।

14. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरूपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःभराव के लिए किया जाए।

15. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

16. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया

जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

18. खनिज का परिवहन कन्वर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

19. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

<table>
<tr><th rowspan="2">Capital Investment (in Lakh Rupees)</th><th rowspan="2">Percentage of Capital Investment to be Spent</th><th rowspan="2">Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)</th><th colspan="2">Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)</th></tr>
<tr><th>Particulars</th><th>CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)</th></tr>
<tr><td rowspan="10">28.63</td><td rowspan="10">2%</td><td rowspan="10">0.5726</td><td colspan="2">Following activities at, Govt. Primary School Village- Nandgaon</td></tr>
<tr><td colspan="2">Drinking water arrangement with filter & its AMC</td></tr>
<tr><td>Water tank (1,000 litre)</td><td rowspan="3">0.445</td></tr>
<tr><td>UV Water Filter</td></tr>
<tr><td>5 Year AMC</td></tr>
<tr><td colspan="2">Running Water Arrangement in Toilet</td></tr>
<tr><td>Water tank (1,000 litre)</td><td rowspan="2">0.15</td></tr>
<tr><td>Pipeline & Installation</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>0.595</td></tr>
</table>

20. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही प्रारंभिक 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा।

21. सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर / प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी / प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी / प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में

परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

22. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

23. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (धारी तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,056 नग एवं गैर माईनिंग क्षेत्र में 400 नग वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

24. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2022–23 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 250 पौधों का रोपण (कुल 1,700 पौधें) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। 6 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति शरकाल निरस्त की जा सकती है।

25. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।

26. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपके द्वारा रोपित पौधों के वृक्षारोपण को सफल बनाना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

27. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई मे दिये गये आश्वासन के अनुसार कार्य करना, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

30. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा किया जाए पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग

अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

31. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

32. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।

33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

34. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

35. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

36. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

37. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

38. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

39. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

40. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

41. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।

42. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग

की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

43. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

44. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

45. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

46. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

47. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मैसर्स नांदगांव फर्सी पत्थर माईनिंग प्रोजेक्ट (प्रो.– श्री प्रेमनारायण चंद्राकर) को खसरा क्रमांक 2732 एवं 2738, कुल लीज क्षेत्र 0.99 हेक्टेयर, ग्राम–नांदगांव, तहसील व जिला–महासमुंद में फर्सी पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन – 7,216 टन (3,006 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 0.99 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से फर्सी पत्थर का अधिकतम उत्खनन 7,216 टन (3,006 घनमीटर) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
3. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
4. क्लस्टर हेतु तैयार ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, उक्त स्थलों पर प्रतिमाह मॉनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को अर्धवार्षिक (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
6. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. खनि पट्टा धारक खनन संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक

किया जाएगा, जिससे यह धारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

8. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्त्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

9. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वांइट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बैग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

10. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।

12. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।

13. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।

14. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरूपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःभराव के लिए किया जाए।

15. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी / बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

16. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी / बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया

जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

18. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

19. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
15.4	2%	0.308	Following activities at nearby, Govt. Higher Sec. School, Village-Nandgaon	
			Installation of UV water filter with its AMC	0.32
			Total	**0.32**

20. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही प्रारंभिक 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा।

21. सी.ई.आर., कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

22. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

23. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 674 नग वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

24. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2022–23 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 पौधों का रोपण (कुल 874 पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।

25. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफस सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।

26. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपके द्वारा रोपित पौधों के वृक्षारोपण को सफल बनाना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

27. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई मे दिये गये आश्वासन के अनुसार कार्य करना, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

30. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा किया जाए पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फलाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

31. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

32. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।

33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

34. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

35. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

36. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

37. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

38. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

39. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

40. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट **www.seiaacg.org** पर भी किया जा सकता है।

41. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।

42. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

43. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने

वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

44. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

45. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

46. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

47. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स नांदगांव फर्शी पत्थर माईनिंग प्रोजेक्ट (प्रो.– श्री हिरेन्द्र साहू) को खसरा क्रमांक 2735/1, कुल लीज क्षेत्र 1.26 हेक्टेयर, ग्राम–नांदगांव, तहसील व जिला–महासमुंद में फर्शी पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन – 6,019 टन (2,508 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.26 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से फर्शी पत्थर का अधिकतम उत्खनन 6,019 टन (2,508 घनमीटर) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
3. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
4. क्लस्टर हेतु तैयार ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, उक्त स्थलों पर प्रतिमाह मॉनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को अर्धवार्षिक (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
6. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक

किया जाएगा, जिससे यह धारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

8. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्त्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

9. किसी खिननी / बेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वांइट्स (यदि कोई हों) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, सफाई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन / संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

10. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।

12. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।

13. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।

14. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरूपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःभराव के लिए किया जाए।

15. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी / बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

16. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी / बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया

जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

18. खनिज का परिवहन कच्चई वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नही गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

19. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
19.14	2%	0.38	Following activities at Govt. Higher sec. School Village- Nandgaon	
			Installation of Separate water tank for drinking water	0.168
			Running water arrangement in toilet	0.225
			Total	0.393

20. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही प्रारंभिक 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा।

21. सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर / प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी / प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी / प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

22. जब भी निरीक्षण दल / अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान / उद्योग / भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

23. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 873 नग वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

24. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2022–23 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, शीशम आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 250 पौधों का रोपण (कुल 923 पौधें) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।

25. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटैग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।

26. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपके द्वारा रोपित पौधों के वृक्षारोपण को सफल बनाना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

27. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई मे दिये गये आश्वासन के अनुसार कार्य करना, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

30. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा किया जाए पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फ्लाई रौक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

31. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

32. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।

33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

34. कार्य स्थल पर यदि कैप्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

35. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

36. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

37. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

38. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

39. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्त्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

40. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

41. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।

42. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

43. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

44. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

45. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

46. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

47. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR EXPANSION OF INDUCTION FURNACE (MS INGOTS) OF CAPACITY- 25,000 TONNES / YEAR TO INDUCTION FURNACE WITH CCM HOT CHARGING BASHED ROLLING MILL (RE-ROLLED PRODUCTS) OF CAPACITY-59,900 TONNES / YEAR, PLOT NO. 43 & 46, AREA 4.051 ACRE OF M/S KAILASH CASTING PRIVATE LIMITED

This environmental clearance is being issued under following conditions therefore read these conditions very carefully and ensure the strict compliance of the same.

I. Statutory Compliance:

i. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).

ii. The project proponent shall obtain all necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water / from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.

iii. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

iv. Project Proponent shall not commission any re-heating furnace or hot charging based rolling mill without prior environmental clearance. As per the MoEF&CC Notification S.O. 3250(E), dated 20.07.2022 for standalone re-rolling or cold rolling units with capacities more than 5000 Tonnes per annum, project proponent shall apply online in TOR for preparing of EIA/EMP report.

v. Induction furnace shall be operated electrically only. No reheating shall be installed without prior permission from the SEAC/SEIAA.

II. Air Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time; and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

ii. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutants released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$ in reference to PM emission, and SO_2 and NO_x in reference to SO_2 and NO_x emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions and connected to SPCB and CPCB online server.

iv. The project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. Collecting hoods with Fume Extraction System with Bag filters (PTFE) of adequate capacity and

high efficiency shall be installed in induction furnace(s) with minimum 30 meter stack height to ensure that particulate matter emission less than 28 mg/Nm^3 all the time. The project proponent shall provide leakage detection and mechanized bag cleaning facilities for better maintenance of bags. Project proponent shall install suitable & effective air pollution control equipments at all transfer points, junction points etc. also. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered. Adequate provision shall be made for sprinkling of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. Proper ventilation shall also be provided in induction furnace plant. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay; otherwise, similar alternate arrangement shall be made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the Project proponent, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency. As per proposal submitted emission of pollutants from any point source shall not exceed the following limit: -

Particulate Matter in Induction Furnace	28 mg/Nm^3 (Thirty Milligram per Normal Cubic Meter)

Project proponent shall provide proper space provision for further retrofitting of air pollution control systems in case of further stringency of particulate matter emission limit. The height of any other stack(s) shall not be less than 30 meters.

v. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

vi. Sufficient number of mobile or stationery vacuum cleaners shall be provided to clean plant roads, shop floors, roofs, regularly.

vii. The project proponent shall use mechanically covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of raw materials.

viii. At entry and exit point of plant, wheel wash system shall be provided to control wheel generated dust.

ix. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed-circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.

x. The project proponent shall provide covered sheds for raw materials.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of effluent (neutralization system) if required. The waste water generated during the process shall be reused in coling purpose. MBBR based sewage treatment arrangement of capacity 6 KLD shall be provided for treatment of domestic effluent to meet the prescribed standards. Treated water shall be utilized in plantation and dust suppression. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India under G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever

generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.

ii. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nava Raipur Atal Nagar, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

iv. Garland drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.

v. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent.

vi. The project proponent shall make efforts to minimize water consumption in the plant by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.

vii. The project proponent shall used the maximum surface water. Project proponent shall not use ground water without prior permission from the Central Ground Water Authority (CGWA).

IV. Noise Monitoring and Prevention

i. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as a part of six-monthly compliance report.

ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. Energy Conservation Measures

i. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.

ii. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

VI. Waste Management

i. No solid, semisolid, liquid or dust of any kind shall be thrown out or dumped out side the lease boundary by project proponent, failing under which the environmental clearance shall be terminated from immediate effect.

ii. The project proponent shall take effective steps for safe disposal of solid wastes and sludge. Furnace slag shall be used as sub base material in road construction/ will be given to Slag Processing units. Used oil shall be given to authorized recyclers / agencies.

iii. Used refractories shall be recycled as far as possible.

iv. Waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed off as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.

v. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.

vi. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.

vii. The project proponent shall install filter press for dry disposal of sludge received from ETP (if any) and shall used the waste as manure in plantation.

VII. Green Belt

i. Green belt shall be developed in an area not less than 40.1% (0.656 Ha) of the total plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. Greenbelt shall inter alia cover the periphery of the plant. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. Project proponent shall ensure that plantation will be done within 1 year.

ii. The project proponent shall prepare GHG emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

VIII. Human health Issues

i. Emergency preparedness plan based on the Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.

ii. The project proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.

iii. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

iv. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

IX. Corporate Environment Responsibility

i. Project proponent shall made CER fund as follows:-

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
1750	1%	17.50	Following activities at nearby proposed site & Govt Primary School Village-Sondra	
			Pavitra Van Nirman at Village-Sitara	8.70
			Rain Water Harvesting System in schools	5.75
			Drinking Water Facility with 3 year AMC in schools	1.50
			Running Water	1.50

			Facilities in schools	
			Plantation in schools	1.30
			Total	**18.75**

ii. The project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned gram Panchayat.

iii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

iv. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.

v. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.

vi. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carriedout.

X. Additional Conditions

i. If any waste comes under Hazardous category, project proponent shall obtain authorization of Hazardous Waste disposal as per the Hazardous & Other Wastes (Management And Transboundary Movement) Rules, 2016 as amended from time to time.

ii. Project proponent shall not disturb the livelihood of habitants, depends on forest based products.

iii. Project proponent shall form a tripartite committee (Representative of Industry, Representative of District administration/CECB and Member of Gram panchayat) which will monitor the compliance of Green Belt within the premises, Corporate Environmental Responsibility activities etc.

iv. This EC shall be granted subject to the conditions that the emission level shall not exceed the prescribed limit notified by Central Pollution Control Board failing which this EC shall deemed to be cancelled.

v. No additional land shall be acquired for this project.

vi. Local persons shall be given necessary training and employment during development and operation of the plant. The project proponent shall ensure skill development of local people.

vii. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

viii. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

ix. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

x. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM_{10}, SO_2, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

xi. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

xii. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

xiii. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

xiv. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.

xv. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

xvi. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xvii. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory or not fulfilled.

xviii. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xix. The Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.

xx. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble

Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xxi. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

xxii. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

Member Secretary, SEAC **Chairman, SEAC**

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR CHEMICAL UNIT FOR MANUFACTURING OF FORMALDEHYDE OF CAPACITY- 36,000 TONNES / YEAR, PLOT NO. 1, 2, 3, 4 & 5, AREA 0.8168 HA (8,168 SQM) OF M/S SHUBHAM SYNDICATE LLP

This environmental clearance is being issued under following conditions therefore read these conditions very carefully and ensure the strict compliance of the same.

I. Statutory Compliance:

i. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).

ii. The Company shall strictly comply with the rules and guidelines under Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals (MSIHC) Rules, 1989 as amended time to time. All transportation of Hazardous Chemicals shall be as per the Motor Vehicle Act (MVA), 1989.

iii. The project proponent shall obtain all necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water / from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.

iv. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

II. Air Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time; and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

ii. National Emission Standards for Organic Chemicals Manufacturing Industry issued by the Ministry vide G.S.R. 608(E) dated 21st July, 2010 and amended from time to time shall be followed.

iii. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

iv. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$ in reference to PM emission, and SO_2 and NO_x in reference to SO_2 and NO_x emissions) within and outside the plant area, covering upwind and downwind directions and connected to SPCB and CPCB online server.

v. The project proponent shall provide ESP in the boiler with stack height of minimum 30 meter. Project proponent shall install suitable & effective air pollution control equipments at all transfer points, junction points etc. also. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered. Adequate provision shall be made for sprinkling of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. Project proponent shall

provide necessary arrangements for all oxides of sulphur emissions. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay; otherwise, similar alternate arrangement shall be made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the Project proponent, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency. Ventilation shall be provided if any hydrocarbon or toxic vapours will be accumulate. Project proponent shall provide leakge detection system with alarm facility to rectify any toxic gases leakage without any delay. Project proponent shall also provide PPE's to the workers. As per proposal submitted emission of pollutants from any point source shall not exceed the following limit: -

Particulate Matter	50 mg/Nm^3 (Thirty Milligram per Normal Cubic Meter)

The height of any other stack(s) shall not be less than 30 meters.

vi. To control source and the fugitive emissions, suitable pollution control devices shall be installed to meet the prescribed norms and/or the NAAQS The gaseous emissions shall be dispersed through stack of adequate height as per CPCB/SPCB guidelines.

vii. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

viii. Sufficient number of mobile or stationery vacuum cleaners shall be provided to clean plant roads, shop floors, roofs, regularly.

ix. The project proponent shall use mechanically covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of raw materials.

x. At entry and exit point of plant, wheel wash system shall be provided to control wheel generated dust.

xi. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed-circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of effluent (neutralization system) if required. The waste water generated during the process shall be reused in coling purpose. Septic tank and Soak pit shall be provided for treatment of domestic effluent. Project proponent shall ensure the treated effluent quality if any within standard prescribed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India under G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.

ii. Project Proponent shall use non-corrosive storage tank to prevent spillage of methanol and formaldehyde. The Project Proponent shall ensure that no spillage of methanol and formaldehyde under any circumstances. If any

failure during operation shall be immediately rectified without delay; otherwise, similar alternate arrangement shall be made. Unreacted methanol will be generated in the manufacturing process will be used again in the process along with fresh raw material.

iii. Proper Earthing system needs to be provided at appropriate locations while loading and unloading of methanol from tanker.

iv. Project Proponent shall ensure only authorized persons shall operate material handling chemicals, equipments etc.

v. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.

vi. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nava Raipur Atal Nagar, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

vii. Garland drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.

viii. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent.

ix. The project proponent shall make efforts to minimize water consumption in the plant by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.

x. The project proponent shall used the maximum surface water.

IV. Noise Monitoring and Prevention

i. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as a part of six-monthly compliance report.

ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. Energy Conservation Measures

i. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.

ii. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

VI. Waste Management

i. Used oil if any shall be given to authorized recyclers / agencies.

ii. Hazardous waste shall be disposed off as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016 as amended from time to time.

iii. Hazardous chemicals shall be stored in non-corrosive tanks. Flame arresters shall be provided on tank farm and the solvent transfer through pumps.

iv. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.

v. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.

vi. The project proponent shall install filter press for dry disposal of sludge received from ETP (if any) and shall used the waste as manure in plantation.

VII. Green Belt

i. Green belt shall be developed in an area not less than 45% (0.367 Ha) of the total plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. Greenbelt shall inter alia cover the periphery of the plant. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. Project proponent shall ensure that plantation will be done within 1 year.

ii. The project proponent shall prepare GHG emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

VIII. Human health issues

i. Emergency preparedness plan based on the Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.

ii. The Project Proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen working in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.

iii. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

iv. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

IX. Corporate Environment Responsibility

i. Project proponent shall made CER fund as follows:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
900	2%	18	Following activities at, Village- Rasmada	
			Eco Park Niman	20
			Total	20

ii. The project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned gram Panchayat.

iii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

iv. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.

v. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.

vi. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

X. Additional Conditions

i. Project proponent shall not disturb the livelihood of habitants, depends on forest based products.

ii. Project Proponent shall provide personal protective equipments like gloves, aprons, respirator, face shield etc.

iii. Project proponent shall form a tripartite committee (Representative of Industry, Representative of District administration/CECB and Member of Gram panchayat) which will monitor the compliance of Green Belt within the premises, Corporate Environmental Responsibility activities etc.

iv. This EC shall be granted subject to the conditions that the emission level shall not exceed the prescribed limit notified by Central Pollution Control Board failing which this EC shall deemed to be cancelled.

v. No additional land shall be acquired for this project.

vi. Local persons shall be given necessary training and employment during development and operation of the plant. The project proponent shall ensure skill development of local people.

vii. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

viii. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

ix. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

x. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM_{10}, SO_2, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral

parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

xi. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

xii. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

xiii. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

xiv. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.

xv. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

xvi. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xvii. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory or not fulfilled.

xviii. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xix. The Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.

xx. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xxi. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

xxii. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

Member Secretary, SEAC

Chairman, SEAC